



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में लूट करने के आरोपी अंसार को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त अंसार पुत्र इंशाद निवासी खिवाई थाना सररपुर जनपद मेरठ द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 407/2013 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.03.2025 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अंसार को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-26.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 122/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तों की निशांदाही पर एक अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 122/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तों की निशांदाही पर एक अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-कपिल पुत्र सन्तराम निवसी ग्राम बिचपड़ी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-जिम्मी उर्फ सागर पुत्र फिरे सिंह उर्फ आजाद निवासी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर (अभियुक्त कपिल से बरामद)
- एक अवैध तमंचा .315 बोर (अभियुक्त जिम्मी उर्फ सागर से बरामद)

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 533 गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 264 वेदपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 874 सतेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 1054 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-26.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा
191(2)/191(3)/115(2)/110 बी.एन.एस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी व 02 गाडी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.03.2025 को वादी श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री लालसिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शुभम पुत्र कृष्णपाल, 2.विजय पुत्र समसपाल,3.शेखर पुत्र संजीव, 4.काला पुत्र संजय,5.अमन पुत्र संजीव, 6.सागर पुत्र नरेन्द्र,7.मनीष पुत्र सुरेन्द्र, 8.विकास पुत्र सन्सपाल, 9.सुमित पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत, 10.गोलू पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत, 11.जतिन पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम सिरसलगढ़ थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर हाथों में लाठी डण्डे एवं हथियार लेकर उसके भाई जितेन्द्र के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/110 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विपिन पुत्र संजीव निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/110 बी.एन.एस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी व 02 गाडी बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

- 1-विजय पुत्र समसपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-शुभम पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-विपिन पुत्र संजीव निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बारमदगी का विवरण-

- 02 लाठी (घटना में प्रयुक्त)
- एक गाडी क्रेटा रजिस्ट्रेशन नं0- UP 17U-8899 (घटना में प्रयुक्त)
- एक गाडी ब्रेजा रजिस्ट्रेशन नं0- DL-9CAR-3219 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-26.03.2025

थाना दोघट पर मुकदमों व एमवी एक्ट में दाखिल कुल 43 वाहनों (कीमत 07 लाख 80 हजार) की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनांक 26.03.2025 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना दोघट पर वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक के मुकदमाती व एमवी एक्ट में दाखिल वाहनों की नीलामी उपजिलाधिकारी बडौत, क्षेत्राधिकारी बडौत व प्रभारी निरीक्षक दोघट की उपस्थिति में की गयी। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व



आस-पास के जनपदों के कुल-17 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल-43 वाहनों (32 दो पहिया, 08 चारपहिया व 03 छः पहिया) कीमत 07 लाख 80 हजार रुपये की नीलामी की गयी।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक-26.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह रमाला जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 बबीता चौधरी रमाला जनपद बागपत।
- 3-का0 907 धर्मेन्द्र कुमार रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 26.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 191(2)/191(3)/352/109/131/115(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शमीम पुत्र लियाकत निवासी नई बस्ती मौहल्ला मुगलपुरा फूस वाली मस्जिद करबा व थाना बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त परवेश पुत्र बिरम निवासी निरोजपुर रोड चीलघर के पास करबा व थाना बागपत जनपद बागपत व 6-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी के साथ उसका नाम पूछकर उसके साथ गाली-गलौच करना तथा जान से मारने की नियत से ईंट-पत्थर



व डंडो से हमला करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 191(2)/191(3)/352/109/131/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

140/25 धारा 191(2)/191(3)/352/109/131/115(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी हरिजन बस्ती बड़ौत रोड़ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

